प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, डूंगरपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स 461/22 दिनांक 30/11/2022

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7, 7ए पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – 120 बी भा.द.स.
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 544 समय 10:55 PM,
(2) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 08.08.2022 व मंगलवार 11.10.2022
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 05.08.2022 समय 2.00 पी.एम

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल : –
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 550 किलोमीटर
(2) पता – पटवार मण्डल बलवाडा तहसील व जिला डूंगरपुर।
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नामः श्री प्रवीण कुमार बरण्डा
(2) पिता का नाम : स्व. भिखा जी बरण्डा
(3) आयुः 28 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : मजदूरी
(7) पताः मु.पो. बलवाडा (वैसातफला), जिला डूंगरपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहितः
1. श्री देवीलाल कोटेड पिता श्री रणछोड कोटेड उम्र 31 वर्ष निवासी मु.पो. चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल बलवाडा, तहसील व जिला डूंगरपुर।
2. श्री धर्मा बरण्डा पिता श्री रामहेंग बरण्डा निवासी बलवाडा (वैसातफला), जिला डूंगरपुर तत्कालीन चेनमेन पटवार मण्डल बलवाडा, तहसील व जिला डूंगरपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	–	परिवादी श्री प्रवीण कुमार बरण्डा की मॉ के नाम से मोटेशन खोलने की एवं मे आरापी श्री देवीलाल पटवारी व श्री धर्मा बरण्डा चेनमेन पटवार मण्डल बलवाडा द्वारा 4000 रूपये की मांग करना व मांग सत्यापन के दौरान 3000 रूपये ग्रहण करना तथा शेष 1000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य –
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदयजी,

वाकियात मामला हाजा इस संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.08.2022 को परिवादी प्रवीण कुमार पिता स्व. भिखाजी बरण्डा उम्र 28 साल निवासी बलवाडा (वैसातफला) तहसील व जिला डूँगरपुर उपस्थित आकर मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि''मेरी मॉ ने हमारे ही गांव के श्रीमति केशर पत्नि स्व. मंगला भील निवासी वैसात फला, बलवाडा से खेती करने के लिये खांखरा वाला एक खेत खरीदा था, जो राजस्व ग्राम बलवाडा में पडता हैं। जिसके खाता संख्या 1173, खसरा संख्या 1107, रकबा 0.0900 हैक्टेयर किस्म तालाबी द्वितीय हैं। जिसकी रजिस्ट्री करीबन एक वर्ष पहले करवाई है। मैं दिनांक 02.08.2022 को उसी खांखरा वाला खेत का मोटेशन खुलवाने के लिये खेत की रजिस्ट्री लेकर श्री देवीलाल जी पटवारी साहब के पास पटवार मण्डल बलवाडा जा रहा था तो पटवारी साहब रास्ते में मिल गये। पटवारी साहब से मैने पूछा कि हमारे खांखरा वाला खेत का मोटेशन खुलवाना है, जिस पर पटवारी साहब ने बताया कि मैं अभी जल्दी में हूँ, परसो आउंगा, परसो फोन करना। इसके बाद में वापस घर आ गया। पटवारी साहब के बताये अनुसार मैने उनको फोन किया तो पटवारी साहब ने बतया कि आप धर्माभाई चैनमैन से मिलना और रजिस्ट्री की एक फोटोकॉपी दे देना, जिस पर मैं हमारे खांखरा वाला खेत जिसका मोटेशन खुलवाना है की रजिस्ट्री की फोटोकॉपी लेकर धर्माभाई चैनमैन के पास गया, धर्माभाई चैनमैन को खांखरावाला खेत की रजिस्ट्री की कॉपी दी तो धर्माभाई ने मेरे से कहॉ कि बाकी लोगो से ज्यादा लेते है पर आपके चार–पांच हजार रूपये लगेंगे। जिस पर मैने धर्माभाई चैनमैन से पूछा कि पैसे किस बात के लगते है और कौन लेता है, जिस पर धर्माभाई ने मेरे को बताया कि मुझे तो सौ–दो सौ रूपये मिलते है बाकी सब पटवारी साहब लेते है। तु पटवार मण्डल जाकर पटवारी साहब को ही रूपये दे देना तो तेरा काम कर देंगे। इस प्रकार हमारे खांखरा वाला खेत का मोटेशन खोलने के लिये श्री देवीलाल जी पटवारी साहब श्री धर्माभाई चैन–मैन के माध्यम से मेरे से रूपये मांग रहे है'' परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर परिवादी से दरियाफ्त की गयी तो मामला रिश्वत राशि लेन–देन का पाया जाने से ब्यूरो कार्यालय में पदस्थापित कानि. बाबुलाल को बुलाकर कार्यालय हाजा के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाकर परिवादी को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाई गयी। तत्पश्चात श्री बाबुलाल कानि. एवं परिवादी श्री प्रवीण कुमार का आपस में परिचय कराया गया एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी पटवारी एवं चैनमेन दोनों पटवार मण्डल बलवाडा पर उपस्थित हो तब जरिये दूरभाष मुझे या श्री बाबुलाल कानि. को अवगत करावे ताकि मांग सत्यापन कराया जा सकें।

दिनांकः 08–08–2022 को समय करीब 12.30 पीएम पर कानि. श्री बाबुलाल ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री प्रवीण कुमार ने जरिये दूरभाष मुझे बताया कि पटवारी और चैनमेन पटवार मण्डल बलवाडा पर उपस्थित हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष ही श्री बाबुलाल कानि. को हिदायत दी कि कार्यालय के मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर पटवार मण्डल बलवाडा के आस–पास पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन करावें। समय 2.20 पीएम पर कानि. श्री बाबुलाल ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैं श्रीमान् के आदेशानुसार मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर कार्यालय से समय करीब 01.00 पीएम पर सरकारी मोटर साईकिल से रवाना हो पटवार मण्डल बलवाडा के आस–पास पहुंच परिवादी श्री प्रवीण कुमार से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर मिला। उसके बाद मैने ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर रिश्वत् मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु परिवादी को देकर पटवार मण्डल बलवाडा के लिए रवाना किया। मैं पटवार मण्डल के बाहर ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के आने की इन्तजार में रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी पटवार मण्डल से बाहर आकर मेरे से मिला और टेप रिकार्डर मुझे दिया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि मैं पटवार मण्डल बलवाडा पहुंचा तो पटवारी और चैनमेन मौजुद मिले जिनसे मेरी रिश्वत् मांग के संबंध में वार्ता हुई जिसे मैने टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. के पास ही खडे परिवादी से बात की तो परिवादी ने कानि. के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि मैने पटवार मण्डल में उपस्थित चैनमेन से पूछा कि मेरा काम हुआ के नहीं, तो चैनमेन ने बताया कि वो पटवारी साहब बतायेंगे। जिस पर पास ही उपस्थित पटवारी साहब ने बताया कि तहसील अलग हो रही हैं। तहसील अलग होने के बाद ही मोटेशन का काम चालु होगा, तब आपका काम होगा। जिसमें करीब 45 दिन का टाईम रहता हैं, उसके बाद मैने पटवारी साहब को इस काम करने के खर्चे के बारे में पूछा तो पटवारी साहब ने एक कागज पर 4000 रूपये लिख कर दिये। जिस पर मैने कहा कि मुझे दिख नहीं रहा हैं तो चैनमेन ने कहा कि ये लिखा है पढ चार हजार। जिस पर मैंने हाथा–जोडी कर कम करने को कहा तो पटवारी साहब ने कहा कि ठीक है देख लूंगा। जिस पर मैने 3000 रूपये पटवारी साहब को दे दिये। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से पूछा कि आपने 3000 रूपये क्यो दे दिये, तो परिवादी ने बताया कि मैं एटीएम से रूपये निकाल कर लाया

था जो जेब में थे, जिन्हे जेब से निकालते समय एक साथ निकल जाने से मैंने 3000 रूपये दे दिये। तत्पश्चात मेरे द्वारा परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर दिनांक 10.08.2022 को ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया व श्री बाबुलाल कानि. को हिदायत दी कि ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पर पहुंच डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखें।

दिनांक 10–08–2022 समय करीब 11.15 एएम पर परिवादी श्री प्रवीण कुमार कार्यालय पर उपस्थित आया और मुझे बताया कि मैं दिनांक 08.08.2022 को मांग सत्यापन वार्ता के लिए पटवार मण्डल पर गया तो वहां उपस्थित चैनमेन से पूछा कि मेरा काम हुआ के नहीं, तो चैनमेन ने बताया कि वो पटवारी साहब बतायेंगे। जिस पर पास ही उपस्थित पटवारी साहब ने बताया कि तहसील अलग हो रही हैं। तहसील अलग होने के बाद ही म्यूटेशन का काम चालु होगा, तब आपका काम होगा। जिसमें करीब 45 दिन का टाईम रहता हैं, उसके बाद मैने पटवारी साहब को इस काम करने के खर्चे के बारे में पूछा तो पटवारी साहब ने एक कागज पर 4000 रूपये लिख कर दिये। जिस पर मैने कहा कि मुझे दिख नहीं रहा हैं तो चैनमेन ने कहा कि ये लिखा है पढ चार हजार। जिस पर मैंने हाथा–जोडी कर कम करने को कहा तो पटवारी साहब ने कहा कि ठीक है देख लूंगा। मैं एटीएम से रूपये निकाल कर लाया था जो जेब में थे, जिन्हे जेब से निकालते समय एक साथ निकल जाने से मैंने 3000 रूपये पटवारी साहब को दे दिये। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबूलाल कानि. से डिजिटल टेप रिकार्डर मालखाने से निकलवाकर उपस्थितिन के समक्ष ही टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को चला कर सुना गया तो रिश्वत् मांग संबंधी वार्ता हुई हैं व पटवारी द्वारा 3000 रूपये भी परिवादी से गृहण किये हैं, परन्तु एक बार और सत्यापन वार्ता की आवश्यकता होने से परिवादी को पुनः रिश्वत् मांग सत्यापन वार्ता के लिए परिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी पटवारी एवं चैनमेन दोनों पटवार मण्डल बलवाडा पर उपस्थित हो तब जरिये दूरभाष मुझे या श्री बाबुलाल कानि. को अवगत करावे ताकि दुबारा मांग सत्यापन कराया जा सकें। परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूकसत किया गया तथा डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया।

दिनांक 20.09.2022 को समय 11.00 ए.एम. पर कानि. श्री बाबुलाल को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री प्रवीण कुमार से सम्पर्क कर पता करे कि अभी तक परिवादी ने फोन क्यू नहीं किया। थोडी देर बाद कानि. श्री बाबुलाल ने परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि अभी तक पटवारी एवं चैनमेन दोनों नहीं मिले हैं व म्यूटेशन खुलने में 45 दिन का समय लगता हैं और देवल तहसील अलग होने से रिकार्ड अलग होने का कार्य पूर्ण होने पर ही काम होगा। जिस पर मेरे द्वारा कानि. को हिदायत दी गई कि परिवादी को जरिये दूरभाष हिदायत देवे कि जब भी पटवारी एवं चैनमेन दोनों पटवार मण्डल बलवाडा पर उपस्थित हो तब जरिये दूरभाष मुझे या श्री बाबुलाल कानि. को अवगत करावे ताकि मांग सत्यापन कराया जा सकें।

दिनांक 27.09.2022 को समय करीब 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री प्रवीण कुमार ने कार्यालय पर उपस्थित होकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि उसके बाद आज दिन तक मैं रोज पटवार मण्डल की तरफ जाता हूँ, तो पटवारी और चैनमेन दोनों एक साथ पटवार मण्डल पर नहीं मिलते हैं। शायद मुझे लगता हैं कि 4000 रूपये में से मैने सत्यापन वार्ता के समय 3000 रूपये दे दिये हैं, अब 1000 रूपये ही बचे हैं, इसलिए वो मुझे कॉल नहीं कर रहा हैं। आज थक कर मैं आपके पास आया हूँ। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को सान्तवना देकर हिदायत दी कि जब भी पटवारी एवं चैनमेन दोनों पटवार मण्डल बलवाडा पर उपस्थित हो तब जरिये दूरभाष मुझे या श्री बाबुलाल कानि. को अवगत करावे ताकि एक बार पुनः मांग सत्यापन कराया जा सकें।

दिनांक 10.10.2022 को समय करीब 02.15 पी.एम. पर कानि. श्री बाबुलाल को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री प्रवीण कुमार से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर पता करे कि क्या हुआ फोन क्यू नहीं कर रहा हैं। थोडी देर बाद कानि. श्री बाबुलाल ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैने परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो उसने बताया कि पटवारी साहब छुट्टी पर चल रहे है। जिस पर मेरे द्वारा कानि. को हिदायत दी गई कि परिवादी को कल दिनांक 11.10.2022 को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करे। थोडी देर बाद कानि. श्री बाबुलाल ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैने परिवादी को कल दिनांक 11.10.2022 को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दिया हैं।

दिनांक 11.10.2022 को समय करीब 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रवीण कुमार कार्यालय पर उपस्थित आया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री बाबुलाल से मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर निकलवाई जाकर परिवादी एवं कानि. को वास्ते मांग सत्यापन समय करीब 3.20 पीएम पर चैनमेन श्री धर्मा भाई के घर के लिए रवाना किया। समय करीब 04.30 पी.एम. पर कानि. श्री बाबुलाल ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि आपके आदेशानुसार मैं और परिवादी चैनमेन के घर के आसपास पहुंच परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर मांग सत्यापन हेतु चैनमेंन के घर के लिए रवाना किया। थोडी देर बाद परिवादी मेरे पास आया और टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि मैने चैनमेन से रिश्वत्

मांग के संबंध में वार्ता हुई जिसे मैने टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. के पास ही खडे परिवादी से बात की तो परिवादी ने कानि. के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि मैने चैनमेन से पूछा कि मेरे क्या हुआ, तो चेनमेन ने बताया कि वो सब पटवारी साहब के पास हैं। थोडे दिन ऑनलाईन वाला काम था। पटवारी साहब तो उन्होने कोई रिकार्ड में गडबडी करी थी जिसकी जांच करने जयपुर से अधिकारी आ रहे हैं, इसलिए पटवारी साहब छुट्टी लेकर गायब हो गये है। उसके बाद मैने धर्मा भाई से दो–तीन बार उसके फोन का स्पीकर ऑन कर पटवारी साहब को फोन करवाया तो पटवारी साहब ने फोन नही उठाया, तो धर्मा भाई ने फिर बताया कि पटवारी साहब ने मुझे फोन करने से मना किया था, तब मैने धर्मा भाई से पूछा कि अपने पैसे तो वो ही लगेंगे तो उसने बताया कि पांच हजार रूपये के लिए पटवारी साहब कह रहे थे ये तुझे पता है, पर तेने 3000 रूपये दे दिये हैं, 1000 रूपये और दे देना इससे ज्यादा मत देना। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी कि पटवारी एवं चैनमेन जब भी पटवार मण्डल पर उपस्थित होवे तब तुरन्त ही मुझे व श्री बाबुलाल कानि. को जरिये दूरभाष सूचित करे ताकि अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जा सके। परिवादी को गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया और बाबुलाल कानि. को मय डिजिटल टेप रिकार्डर के कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी। समय करीब 05.00 पी.एम. पर कानि. श्री बाबुलाल मय डिजिटल टेप रिकार्डर के उपस्थित कार्यालय आया व टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिसको चलाकर मेरे द्वारा सुना गया व टेप रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक 18.10.2022 को समय करीब 03.00 पी.एम. पर कानि. श्री बाबुलाल ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री प्रवीण कुमार ने मुझे बताया कि मेरे म्यूटेशन का काम हो गया हैं। नकल की प्रति हस्ताक्षरयुक्त थाणा पटवारी ने एक व्यक्ति के साथ मेरे पास भिजवाई हैं व मैने गोपनीय रूप से पता किया तो पटवारी साहब पटवार मण्डल पर नहीं आ रहे हैं, हो सकता हैं पटवारी साहब को कार्यवाही की भनक लग गई हो। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री बाबुलाल को पाबन्द किया कि परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करे। थोडी देर बाद कानि. ने मुझे बताया कि मैने परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि दो दिन मेरे घरेलु आवश्यक कार्य हैं, उसके बाद मैं कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा।

दिनांक 21.10.2022 को समय करीब 12.45 पी.एम. पर तलबिदाशुदा परिवादी श्री प्रवीण कुमार उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने से मैं दो दिन पहले आपके पास नहीं आ सका। परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मुझे शंका है कि पटवारी को कार्यवाही का पता चल गया हैं। क्योकि मेरा म्यूटेशन का काम हो गया हैं, नकल प्रति थाणा पटवारी ने एक व्यक्ति के साथ मेरे पास भिजवाई हैं। मेरे परिचितों ने मुझे बताया कि तू जो कार्यवाही कर रहा हैं, वो मत कर और अपन आपसी कर लेते हैं। जिससे ये हो सकता हैं कि पटवारी साहब को कार्यवाही का पता चल गया हैं। अब पटवारी साहब मुझसे और रूपये नहीं लेंगे। आपके पास जो भी सबुत हैं, उस पर आगे की कार्यवाही करें। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों से ऐसा लगता हैं कि पटवारी को कार्यवाही की भनक लग गई हैं। जिस कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होना व दोनो मांग सत्यापन से पटवारी व चेनमेन द्वारा रिश्वत राशि मांगना स्पष्ट होने से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद डूंगरपुर को दो स्वतंत्र गवाह अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु जरिये दूरभाष निवेदन किया गया। समय करीब 02.10 पीएम पर तलबिदा स्वतंत्र गवाहान श्री अमृतलाल डामोर पुत्र श्री कावा जी डामोर जाति मीणा उम्र 32 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट बालदिया तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर हाल सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय, उपायुक्त जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, जिला डूंगरपुर एवं श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री दौलतरामजी जाति मीणा उम्र 31 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट तलैया पंचायत समिति बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद डूंगरपुर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित आये। दोनों स्वतंत्र गवाहानों का परिवादी श्री प्रवीण कुमार से आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा टाईपशुदा रिपोर्ट को पढाई जाकर उक्त रिपोर्ट पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहान को अब तक की ट्रेप कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात बताये जाकर कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर निकलवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 08.08.2022 को समय 01.30 पीएम पर हुई मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुनाया गया व उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडियां तैयार की गयी। मूल सीडी को कम्प्यूटर से चलाकर उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्टे कानि. श्री बाबुलाल से तैयार करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडियों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा मूल सीडी को कवर में रखकर सील कर कब्जे ब्यूरो ली गई तथा डब सीडी को सुरक्षित रखी गई। समय करीब 04.45 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहानों एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 11.10.2022 को समय 3.50 पीएम पर हुई मांग सत्यापन वार्ता जो डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड हैं को चलाकर सुनाया गया व उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो

के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडियां तैयार की गयी। मूल सीडी को कम्प्यूटर से चलाकर उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि. श्री बाबुलाल से तैयार करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडियों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा मूल सीडी को कवर में रखकर सील कर कब्जे ब्यूरो ली गई तथा डब सीडी को सुरक्षित रखी गई। इसके उपरान्त ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड को भी पृथक से मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर एक कपडे की थेली मे रख सिल कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त दोनों मांग सत्यापन वार्ताओं की सील शुदा मूल सीडियों व डब सीडियों तथा मेमोरी कार्ड को मालखाना रजिस्टर में श्री वीर विक्रम सिंह कानि. कार्यवाहक मालखाना प्रभारी से इन्द्राज कराया जाकर मूल व डब सीडियों तथा मेमोरी कार्ड को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा परिवादी श्री प्रवीण कुमार व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अमृतलाल डामोर सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय एवं श्री प्रदीप कुमार कनिष्ठ सहायक को मुनासिब हिदायत के रूकसत किये गये।

प्रकरण में परिवादी श्री प्रवीण कुमार द्वारा दिनांक 05.08.2022 को पेश प्रार्थना पत्र, फर्द रिश्वत् मांग सत्यापन एवं ट्रेप कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात से स्पष्ट है कि परिवादी श्री प्रवीण कुमार कि मॉ ने गांव कि श्रीमति केशर पत्नि स्व. मंगला भील निवासी वैसात फला, बलवाडा से खेती करने के लिये खांखरा वाला एक खेत खरीदा था, जिसके खाता संख्या 1173, खसरा संख्या 1107, रकबा 0.0900 हैक्टेयर किस्म तालाबी द्वितीय हैं। जिसकी रजिस्ट्री करीबन एक वर्ष पहले करवाई गई थी, जिसका नामान्तरण खोलने की एवज में पटवारी श्री देवीलाल एवं श्री धर्माभाई चेनमेन द्वारा परिवादी से 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर दिनांक 08.08.2022 एवं 11.10.2022 को नियमानुसार रिश्वत् मांग सत्यापन कराया गया। दौराने रिश्वत् मांग आरोपी श्री देवीलाल पटवारी एवं धर्माभाई चैनमेन द्वारा परिवादी श्री प्रवीण कुमार से 4000 रूपये रिश्वत राशि मांग करते हुए पटवारी श्री देवीलाल द्वारा 3000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना एवं शेष 1000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना प्रमाणित हैं, परन्तु आरोपी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से परिवादी से सम्पर्क करना एवं उसकी मांग अनुसार रिश्वत् राशि ग्रहण नहीं की गई, जो जुर्म अन्तर्गत धारा 7, व 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 और 120 बी आईपीसी का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित हैं।

अतः आरोपी श्री देवीलाल कोटेड पिता श्री रणछोड कोटेड उम्र 31 वर्ष निवासी मु.पो. चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल बलवाडा, तहसील व जिला डूंगरपुर एवं श्री धर्मा बरण्डा पिता श्री रामहेंग बरण्डा निवासी बलवाडा (वैसातफला), जिला डूंगरपुर तत्कालीन चेनमेन पटवार मण्डल बलवाडा, तहसील व जिला डूंगरपुर के विरूद्ध धारा 7, व 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 और 120 बी आईपीसी के अंतर्गत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(हेरम्ब जोशी)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
डूंगरपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हेरम्ब जोशी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त 1. श्री देवीलाल कोटेड पिता श्री रणछोड कोटेड, तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल बलाड़ा, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर एवं 2. श्री धर्मा बरण्डा पिता श्री रामहेंग बरण्डा, निवासी बलवाडा (बैसातफला), जिला डूंगरपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 461/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.11.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3957-60 दिनांक 30.11.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. जिला कलक्टर डूंगरपुर।
4. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर।

30.11.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।